राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2022 अपील

1. छीतर पिता गोकल कुमावत निवासी दरीबा हाल कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र देवा कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. बंशीलाल पुत्र देवा कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. डालचन्द्र पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. गणेश पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. खेमराज पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. मोहनी पुत्री रामचन्द्र कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. सायरी पत्नि रामचन्द्र कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 1841 निर्णय दिनांक 14/10/2016

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दरीबा तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 979, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा व 1103, 1105, 1106, 1107 कुल किता 04 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी के हिस्से में 1/2 हक हिस्से अनुसार विरासत से प्राप्त हुई है, जो अपीलार्थी के कब्जे एवं काश्त में निरन्तर रूप से चली आ रही थी। अविभाजित कृषि भूमि से न्यायालय सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा में अपीलार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधि. Tenancy Act के तहत प्रस्तुत किया जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1986 को पारित किया गया जिसमें प्रारम्भिक डिकी जारी की गई। उक्त डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेट के पिता नाथु कुमावत ने अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील भी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारीज कर दी गई जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी में अपीलार्थी की ओर से उक्त राजीनामा पर अपीलार्थी के मानसिक रोगी होने का नाजायज फायदा उठाकर राजीनामा तस्दीक करवा लिया जिसके प्रकरण संख्या 62/88 दिनांक 08.09.92 को डिकी जारी की गई जिसकी पालना डिक्री की मियाद 12 वर्ष व्यतित हो जाने के पश्चात रेस्पोडेट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त डिकी की पालना तहसील आदेश कंमाक / भू.अ/16/4658 दिनांक 05.10.2016 को जारी किया गया जिस पर ना.स. 1841 दिनांक 14.10.2016 को अपीलार्थी का राजस्व रिकार्ड से नाम हटा दिया जो गलत है एवं विधि विरूद्ध है। क्योकि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित राजीनामा डिक्री अवधि बाधित थी एवं उक्त डिक्री की पालना करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत सूचना भी नही दी गई। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार से खातेदारी कास्तकार को बिना सूचना दिये किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने पर दिनांक 02.11.2016 को तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उक्त आदेश की प्रतिलिपी दिनांक 09.11.2016 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त करने की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इ.न. 1841 दिनांक 14.10. 2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाथी के नाम पर उक्त आराजी का खाता पुनः खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 07 की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि अविभाजित कृषि भूमि से न्यायालय सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा में अपीलार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधि. Tenancy Act के तहत प्रस्तुत किया जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1986 को पारित किया गया जिसमें प्रारम्भिक डिकी जारी की गई। उक्त डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेट के

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

पिता नाथु कुमावत ने अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील भी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारीज कर दी गई जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी में अपीलार्थी की ओर से राजीनामा पर अपीलार्थी के मानसिक रोगी होने का नाजायज फायदा उठाकर राजीनामा तस्दीक करवा लिया जिसके प्रकरण संख्या 62/88 दिनांक 08.09.92 को डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना डिक्री की मियाद 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात रेस्पोडेट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त डिक्री की पालना तहसील आदेश कंमाक / भू.अ/16/4658 दिनांक 05.10.2016 को जारी किया गया जिस पर ना.स. 1841 दिनांक 14.10.2016 को अपीलार्थी का राजस्व रिकार्ड से नाम हटा दिया जो गलत है एवं विधि विरूद्ध है। क्योकि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित राजीनामा डिक्री अवधि बाधित थी एवं उक्त डिक्री की पालना करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत सूचना भी नही दी गई। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार से खातेदारी कास्तकार को बिना सूचना दिये, किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इ.न. 1841 दिनांक 14.10.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाथी के नाम पर उक्त आराजी का खाता पुनः खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित फरमाया जावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम दरीबा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा की आराजी संख्या 979,983 कुल किता 02 कुल रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा व आराजी संख्या 1103,1105,1106 व 1107 कुल किता 07 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के खाते में दर्ज थी उक्त आराजियात के बंटवाड़े के संबंध में सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा के यहां एक वाद विचाराधीन रहा जो दिनांक 12.02. 1986 को निर्णित किया जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी की गयी जिसकी अपील प्रत्यर्थीगण नाथू कुमावत ने प्रस्तुत की उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज की गयी जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गयी उक्त निगरानी के प्रकरण संख्या 62/1988 दर्ज हुए जिसमें अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य राजीनामा हुआ तथा राजीनामा अनुसार ही राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 08.09.1992 को डिक्री जारी की गयी जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1841 दिनांक 14.10.2016 को फैसल कर प्रत्यर्थीगण के नाम खाता दर्ज किया गया । उक्त विवादित आराजियात प्रत्यर्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की थी जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलार्थी का गलत दर्ज हो गया था जिसके

8.12. अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

संबंध में विभिन्न न्यायालय में वाद चले एवं आखिर में राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य आपस में राजीनामा हुआ जो राजीनामा पूर्ण होश हवास में हुआ राजीनामा के प्रकरण संख्या 62/1988 में दिनांक 03.09.1992 को राजस्व मण्डल में बंसीलाल, रामचन्द्र, तुलसीराम व छीतरमल की तरफ से राजीनामा पेश हुआ जहां पर अपीलार्थी जो राजस्व मण्डल में प्रत्यर्थी था की पहचान अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद माथुर ने की तथा बंसी लाल व रामचन्द्र की पहचान अधिवक्ता श्री भवानीसिंह ने की एवं तुलसीराम की पहचान अधिवक्ता घनश्याम सिंह जी ने की राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया फिर उनके हस्ताक्षर करवाये इसी आधार पर राजस्व मण्डल के सदस्य श्री के०एन० भार्गव व एस०बी० श्रीवास्तव ने दिनांक 08.09.1992 को अपील स्वीकार की। मुताबिक राजीनामा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील स्वीकार की गयी एवं राजस्व मण्डल के निर्णय के आदेशानुसार तहसीलदार, भीलवाड़ा ने उक्त नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में खोला गया एवं अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया गया। पत्रावलियां अधिनस्थ न्यायालय में आ गयी समय–समय पर प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी छीतर को खाते से नाम हटाने एवं प्रत्यर्थीगण का नाम खाते में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने किसी कारणवश नाम नहीं हटाया जिस गलती की जानकारी होते ही नामान्तरकरण संख्या 1841 दिनांक 14.10.2016 को अपीलार्थी छीतर का नाम खाते से हटाया जिसमें किसी भी तरह की अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थी छीतर को उक्त नामान्तरकरण से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि अपीलार्थी छीतर ने पूर्ण होश के साथ दिनांक 03.09.1992 को जरिये राजीनामा भूमि प्रत्यर्थीगण को दे दी थी तथा कब्जा मौके पर प्रत्यर्थीगण का ही चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामातरकरण खोलने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेशित किया तब तहसीलदार भीलवाड़ा ने पूर्ण जानकारी करवाकर इंतकाल खोला गया जिसमें किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है। इंतकाल की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी छीतर को तहसीलदार भीलवाड़ा ने दे दी थी, पूर्ण जानकारी अपीलार्थी छीतर को भी थी तथा अपीलार्थी छीतर की उपस्थिति में ही नामान्तरकरण खोला गया, राजीनामा दिनांक 03.09.1992 से अपीलार्थी छीतर पूर्णरूपेण पाबंद है तथा दिनांक 03.09.1992 से अपीलार्थी छीतर खातेदार नहीं रहा है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमा जैरबहस नामान्तरकरण संख्या 1841 दिनांक 14.10.2016 यथावत रखाये जाने का आदेश फरमावे ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रकरण संख्या 62/1988 में दिनांक 03.09.1992 को राजस्व मण्डल में बंसीलाल, रामचन्द्र, तुलसीराम व छीतरमल की तरफ से राजीनामा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पेश हुआ जहां पर अपीलार्थी जो राजस्व मण्डल में प्रत्यर्थी था, की पहचान अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद माथुर ने की तथा बंसीलाल व रामचन्द्र की पहचान अधिवक्ता श्री भवानीसिंह ने की एवं तुलसीराम की पहचान अधिवक्ता घनश्याम सिंह जी ने की, राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया, फिर उनके हस्ताक्षर करवाये। इसी आधार पर राजस्व मण्डल के सदस्य श्री के०एन० भार्गव व एस०बी० श्रीवास्तव ने दिनांक 08.09.1992 को अपील स्वीकार की। मुताबिक राजीनामा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील स्वीकार की गयी एवं राजस्व मण्डल के निर्णय के आदेशानुसार तहसीलदार, भीलवाड़ा ने उक्त नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में खोला गया। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पारित किया गया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अपीलार्थी राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा